फैसल
10
18.1.2021

FORM NO – 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

प्रार्थी/परिवादी
श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधि.
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि.
सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त
आचार्य कांतिलाल पुत्र जगदीशजी रावल
जाति–रावल, निवासी–डॉ. सम्पूर्णानन्द
कॉलोनी,मकान नं. 286, सिरोही, जिला सिरोही
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)
फर्म: बाबाजी वैदिक बिलोने का घी,
रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, प्लॉट नं.66, सिरोही

किस्म मुकदमा – धारा 26(2)(ii) एवं 51
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

प्रकरण संख्या: 07 /2021

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
18.1.2021	श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त आचार्य कांतिलाल के विरुद्ध आज दिनांक 18.1.2021 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा जिलें में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णय आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी आचार्य कांतिलाल पुत्र जगदीश जी रावल, जाति– रावल, निवासी– डॉ.सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, मकान नं. 286, सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म बाबाजी वैदिक बिलोने का घी, रिको इण्डस्ट्रीयजल एरिया, प्लॉट नं. 66, सिरोही, जिला– सिरोही इस न्यायालय में आज दिनांक 18.1.2021 को स्वयं उपस्थित हुआ। प्रतिवादी आचार्य कांतिलाल को नोटिस पढ़कर सुनाया गया एवं न्याय निर्णय आवेदन पत्र की एक प्रति दिलवाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी आचार्य कांतिलाल ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 27.10.2020 को जिस घी का [illegible] जांच रिपोर्ट के अनुसार सब स्टेण्डर्ड [illegible] वह मेरी फर्म बाबा जी वैदिक [illegible] मेरी फर्म द्वारा जिस घी का [illegible] करता हूँ [illegible] गौशाला की गायो के दूध से ही होता है उस में मेरे द्वारा पारम्परिक .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:52:09 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.07/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	विधि से ही घी का निर्माण किया जाता है। शायद प्रोसेसिंग में कुछ कमी रह जाने के कारण घी सब स्टेण्डर्ड आया है, भविष्य में प्रोसेसिंग का ध्यान रखूंगा और मैनें नया नया कार्य शुरु किया है, इसलिये शायद चूक हो गई है। मैं मेरी गलती स्वीकार करता हॅ, कृपया मुझे इस प्रकरण से मुक्त किया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर गलती स्वीकार कर ली जाने से प्रकरण में दोनों पक्षों की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने अमानक घी का विक्रय किया है, इसलिये प्रतिवादी पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया। उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 27.10.2020 को समय 12.02 पी.एम. पर फर्म बाबाजी वैदिक बिलोने का घी, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, प्लॉट नं. 66, सिरोही पर गये। वहां पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता के हैसियत से प्रतिवादी आचार्य कांतिलाल उपस्थित मिले, जो आम जनता को घी बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म बाबाजी वैदिक बिलोने का घी के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ घी के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए उक्त डेयरी के अन्दर स्टील की टैंक में रखे हुए खाद्य पदार्थ घी लगभग 10 किलोग्राम में में 800 ग्राम घी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ घी के नमूना संख्या **S-1196** को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./558/Act/2020/558 दिनांक 31.10.2020 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी आचार्य कांतिलाल द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप[illegible]) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा [illegible] की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की [illegible] क्रमांक ....लगातार	

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:52:09 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.07/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए
	प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत आचार्य कांतिलाल पुत्र जगदीश जी रावल, जाति– रावल, निवासी– डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, मकान नं. 286, सिरोही, जिला– सिररोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म बाबाजी वेदिक बिलोने का घी, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, प्लॉट नं. 66, सिरोही, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त प्रतिवादी आचार्य कांतिलाल को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 11.2.2021 को पेश हो। 18/1/2021 (गितेश श्री मालवीया) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही Signature Not Verified Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya Date: 2021.03.03 10:52:09 IST Reason: SelfAttested	